विभाग की योजनाओं का संक्षिप्त विवरण :-

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना

परिचय

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले वृद्धो को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित की जा रही है ।योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन विभाग द्वारा किया जा रहा है

उदेद्श

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले वृद्धा को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित की जा रही है ।

पात्रता

1. आवेदक की आयु (पुरूष अथवा स्त्री)60 वर्ष अथवा इससे अधिक की हो।
2. आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।

लाभ

1. 60 वर्ष से अधिक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह र ₹ 600 की दर से पेंशन प्रदाय की जाती है ।

प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में- ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत के कार्यालय में तीन फोटो, आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र तथा बी.पी.एल. कार्ड के साथ जमा करायें

उपलब्धि के आंकड़े (अप्रैल 2019 की स्थिति में)

क्रमांक	जनपद/नगरीय निकाय का नाम	लाभार्थी की संख्या
1	जनपद पंचायत बरघाट	5482
2	जनपद पंचायत छपारा	2418
3	जनपद पंचायत धनौरा	1517
4	जनपद पंचायत घंसौर	5566
5	जनपद पंचायत केवलारी	3646
6	जनपद पंचायत कुरई	2369
7	जनपद पंचायत लखनादौन	4832
8	जनपद पंचायत सिवनी	6066
9	नगर पालिका सिवनी	1551
10	नगर परिषद बरघाट	378
11	नगर परिषद लखनादौन	376

- [इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना]

परिचय

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली विधवा महिला को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना संचालित की जा रही है ।योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

उदेद्श

योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान के उददेश्य से पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है ।

पात्रता

1. आवेदिका की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष होगी ।
2. आवेदिका को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए ।

लाभ

विधवा महिला हितग्राही को प्रतिमाह 600 रु० की दर से पेंशन प्रदाय की जा रही है ।

प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ जमा कराने पर :-

1. तीन स्वयं के फोटो
2. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
3. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र 4- बीकार्ड .एल.पी.

उपलब्धि के आंकड़े (अप्रैल 2019 की स्थिति में)

क्रमांक	जनपद/नगरीय निकाय का नाम	लाभार्थी की संख्या
1	जनपद पंचायत बरघाट	4604
2	जनपद पंचायत छपारा	1580
3	जनपद पंचायत धनौरा	1247
4	जनपद पंचायत घंसौर	2959
5	जनपद पंचायत केवलारी	3083
6	जनपद पंचायत कुरई	2348
7	जनपद पंचायत लखनादौन	2304
8	जनपद पंचायत सिवनी	4935
9	नगर पालिका सिवनी	1958
10	नगर परिषद बरघाट	347
11	नगर परिषद लखनादौन	328

- [इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना]

परिचय

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले निःशक्तजनों को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना संचालित की जा रही है ।योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

उदेद्श

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना प्रदेश में 01-04-2009 से प्रारंभ की गई है योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्तजनों को 600 रू/ पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है

पात्रता

1. आवेदक की आयु 18 वर्ष से 79 वर्ष की होगी ।
2. आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए ।
3. नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) 1995 तथा द नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ आर्टिज्म, सेरेब्रेल पालसी, मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट, 1999 के अनुसार 80 प्रतिशत नि:शक्तता एवं सीबीयर डिसेबिलिटी होना चाहिए ।

लाभ

निःशक्त हितग्राही को प्रतिमाह 600 रु० की दर से पेंशन प्रदाय की जाती है।

प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ जमा करायें :-

1. तीन फोटो
2. निशक्तता प्रमाण पत्र:
3. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र

उपलब्धि के आंकड़े (अप्रैल 2019 की स्थिति में)

क्रमांक	जनपद/नगरीय निकाय का नाम	लाभार्थी की संख्या
1	**जनपद पंचायत बरघाट**	**135**
2	**जनपद पंचायत छपारा**	**177**
3	**जनपद पंचायत धनौरा**	**193**
4	**जनपद पंचायत घंसौर**	**133**
5	**जनपद पंचायत केवलारी**	**181**
6	**जनपद पंचायत कुरई**	**80**
7	**जनपद पंचायत लखनादौन**	**363**
8	**जनपद पंचायत सिवनी**	**187**
9	**नगर पालिका सिवनी**	**70**
10	**नगर परिषद बरघाट**	**48**
11	**नगर परिषद लखनादौन**	**64**

- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

परिचय

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन एफ बी एस) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जिसकी प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से आर्थिक सहायता प्रदाय की जाती है । योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

उदेद्श

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जिसकी प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना संचालित की जा रही है

पात्रता

1. मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम होना अनिवार्य है।
2. मृतक परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य रहा हो।
3. मृतक गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार का सदस्य होना चाहिए।-

लाभ

राशि रु. 20,000/- की आर्थिक सहायता (केन्द्रांश मद से) एकमुश्त प्रदान की जाती है

प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन उनके मूल निवास के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत के कार्यालय में निम्न अभिलेखों के साथ जमा करायें :-

1. आयु प्रमाण पत्र
2. मृत्यु प्रमाण पत्र
3. बीकार्ड .एल.पी.
4. दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले मे पुलिस मे दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट।

- **सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना**

परिचय

निराश्रित वृद्ध, कल्याणी, परित्यक्ता, दिव्यांग और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वीकृत की जाती है। इसके तहत ऐसे 60 वर्ष के वृद्ध जो अपने भरण पोषण की क्षमता नहीं रखते है। 18 वर्ष से अधिक आयु की कल्याणी एवं परित्यक्ता महिलाओं, 6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु तक के दिव्यांग बच्चों को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि तथा 18 से 59 वर्ष के दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जाता है।

उदेद्श

निराश्रित वृद्ध, कल्याणी, परित्यक्ता, दिव्यांग और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वीकृत की जाती है। इसके तहत ऐसे 60 वर्ष के वृद्ध जो अपने भरण पोषण की क्षमता नहीं रखते है। 18 वर्ष से अधिक आयु की कल्याणी एवं परित्यक्ता महिलाओं, 6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु तक के दिव्यांग बच्चों को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि तथा 18 से 59 वर्ष के दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जाता है।

पात्रता

1. 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध हो।
2. 18 वर्ष या अधिक आयु तक की कल्याणी महिला, कल्याणी आयकरदाता न हो, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय अधिकारी/कर्मचारी)से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों से है(कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो)
3. 18 वर्ष से अधिक आयु की परित्यक्ता महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो। वार्ड पार्षद /सरपंच एवं सचिव) एवं सहायक राजस्व निरीक्षक वार्ड प्रभारीके संयुक्त प्रमाणपत्र या न्याय (ालयीन आदेश के आधार पर परित्यक्ता माना जावेगा।
4. 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के दिव्यांग व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि।
5. 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग व्याक्ति जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो सामाजिक सुरक्षा नि:शक्त पेंशन ।
6. वृद्वाश्रम में निवासरत 60 वर्ष से अधिक आयु के अंतवासियो:
7. मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना 50 वर्ष या इससे अधिक आयु के अविवाहीत महिला आयकरदाता न हो, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय अधिकारी/कर्मचारी)से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों से है।

समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के समस्त वृद्व, कल्याणी, परित्यक्ता एवं दिव्यांग हितग्राही को रु. 600/- प्रति हितग्राही प्रतिमाह, पेंशन प्रदाय की जाती है।

प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें :-

1. स्वयं की दो फोटो, 2. बीनिर्धन का प्रमाण पत्र /कार्ड अथवा निराश्रित .एल.पी.
2. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र, 3. नि:शक्तता का प्रमाण पत्र, 4. कल्याणीपरित्यक्तता का प्रमाण पत्र/

क्रमांक	जनपद/नगरीय निकाय का नाम	लाभार्थी की संख्या
1	**जनपद पंचायत बरघाट**	2563
2	**जनपद पंचायत छपारा**	1875
3	**जनपद पंचायत धनौरा**	968
4	**जनपद पंचायत घंसौर**	1860
5	**जनपद पंचायत केवलारी**	3608
6	**जनपद पंचायत कुरई**	3013
7	**जनपद पंचायत लखनादौन**	4206
8	**जनपद पंचायत सिवनी**	4442
9	**नगर पालिका सिवनी**	931
10	**नगर परिषद बरघाट**	188
11	**नगर परिषद लखनादौन**	276

- [मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना]

परिचय

ऐसे दम्पत्ति जिनकी संतान के रूप में केवल कन्याएं हो और विवाहीत हो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना प्रारंभ की गई ।

पात्रता

1. हितग्राही दम्पति मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
2. हितग्राही दम्पति में से किसी एक की न्यूनतम आयू 60 वर्ष हो।
3. हितग्राही दम्पति की संतान के रूप में केवल पुत्री हो और विवाहित हो।
4. हितग्राही आयकर दाता न हो ।

पेंशन राशि

योजनाअंतर्गत हितग्राही दम्पति को रू. 600 की सहायता राशि प्रतिमाह।

क्रमांक	जनपद/नगरीय निकाय का नाम	लाभार्थी की संख्या
1	जनपद पंचायत बरघाट	422
2	जनपद पंचायत छपारा	181
3	जनपद पंचायत धनौरा	164
4	जनपद पंचायत घंसौर	153
5	जनपद पंचायत केवलारी	368
6	जनपद पंचायत कुरई	257
7	जनपद पंचायत लखनादौन	270
8	जनपद पंचायत सिवनी	385
9	नगर पालिका सिवनी	50
10	नगर परिषद बरघाट	52
11	नगर परिषद लखनादौन	16

- बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्तजन को आर्थिक सहायता

परिचय

राज्य सरकार द्वारा अपने साधनों से मध्यप्रदेश के सभी छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्तजन व्यक्ति को रूपये 600 प्रतिमाह आर्थिक सहायता दिए जाने की योजना दिनांक 18/06/2009 से प्रारंभ की गई है।

पात्रता

1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
2. 6 वर्ष से अधिक आयु का हो।
3. बहुविकलांग मानसिक रूप से अविकसित हो/ प्रमोशन घात/ स्व. परायणता (मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणीकरण किया गया हो)

पेंशन राशि

योजनाअंतर्गत हितग्राही को रू. 600 की सहायता राशि प्रतिमाह।

क्रमांक	जनपद/नगरीय निकाय का नाम	लाभार्थी की संख्या
1	जनपद पंचायत बरघाट	334
2	जनपद पंचायत छपारा	158
3	जनपद पंचायत धनौरा	81
4	जनपद पंचायत घंसौर	143
5	जनपद पंचायत केवलारी	223
6	जनपद पंचायत कुरई	223
7	जनपद पंचायत लखनादौन	200
8	जनपद पंचायत सिवनी	467
9	नगर पालिका सिवनी	236
10	नगर परिषद बरघाट	31
11	नगर परिषद लखनादौन	42

- [मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना]

परिचय

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अन्त्योदय मिशन प्रदेश के नि:शक्त, निर्धन और कमजोर परिवारों की सहायता के लिये आम लोगों की भावना और उनकी भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुये स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत निराश्रित, निर्धन कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना तैयार कर वर्ष 2006 में मुखयमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से प्रारम्भ की गई है

उदेद्श

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब, जरुरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की निर्धन एवं श्रमिक संवर्ग की योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों के परिवार की विवाह योग्य कन्या/ विधवा/ परित्यक्तता के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

पात्रता

1. **कन्या/कन्या के अभिभावक मप्र के मूल निवासी हो।**
2. कन्या के लिए १८ वर्ष तथा पुरुष के लिए २१ वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हों।
3. कन्याया जरुरतमंद हों।/कन्या के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हों/
4. समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो

लाभ

सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाले निकाय यथा नगरीय निकाय,ग्रामीण निकाय को विवाह आयोजन की प्रतिपूर्ति के लिये रूपये 3,000/- एवं लाभावितं कन्याओं के बचत खाते में रू. 48000/- इस प्रकारकुल रूपये 51,000/-हजार दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में आवश्ययक अभिलेखों के साथ जमा करायें । स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र :- मुखय कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र :- आयुक्त, नगर निगम मुखय नगर पालिका अधिकारी

जिले में सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम अंतर्गत दिनांक 02 मार्च 2019 को कुल 2461 सामूहिक विवाह संपन्न हुये

क्रमांक	जनपद/नगरीय निकाय का नाम	लाभार्थी की संख्या
1	जनपद पंचायत बरघाट	323
2	जनपद पंचायत छपारा	278
3	जनपद पंचायत धनौरा	211
4	जनपद पंचायत घंसौर	200
5	जनपद पंचायत केवलारी	340
6	जनपद पंचायत कुरई	337
7	जनपद पंचायत लखनादौन	361
8	जनपद पंचायत सिवनी	335
9	नगर पालिका सिवनी	7
10	नगर परिषद बरघाट	16
11	नगर परिषद लखनादौन	53

निशक्तजन विवाह योजना :

पात्रता

(1) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार सरंक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-2 में वर्णित परिभाषा अनुसार 40 प्रतिशत या उससे अधिक नि:शक्तता हो। (2) मप्र का निवासी हो। (3) न्यनूतम आयु आवेदक के लिये 21 वर्ष तथा आवेदिका के लिये 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो। (4) विवाह धार्मिक रीति/ सामाजिक रीति या सक्षम न्यायलय द्वारा कानूनी रूप से विहित किया गया हो। (5) आवेदक/आवेदिका आयकरदाता न हो।

लाभ

दम्पत्ति में से एक नि:शक्त होने पर 2 लाख एवं दोनों नि:शक्त होने पर 1 लाख की राशि प्रदान की जाती है।

क्र.	वित्तीय वर्ष	लाभावित दिव्यांग	राशि (लाख में)
1	2018-19	51	78.00

कृत्रिम अंग सहायक उपकरण

पात्रता

06 वर्ष से 30 वर्ष आयु के अक्षम पहली कक्षा से स्नातक /स्नातकोत्तर स्तर की सामान्य शिक्षा, व्यवसायिक या तकनीकी या तकनीकी प्रशिक्षण या शिक्षता के लिये तथा 16 वर्ष से 55 वर्ष आयु जीवन में अपना कर्तव्य पूरा कने के लिये आवश्यक शर्ते
1 मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो, 2 40 प्रतिशत या अधिक नि:शक्तता हो 3 वार्षिक आय रूपये 96.000 (रूपयो छियानवे हजार मात्र) 4 विषय विशेषज्ञ (डाक्टर्स) का परामर्श।

लाभ

ट्रायसायकल बैसाखी, व्हीलचेयर, वाकिग स्टिक, श्रवणयंत्र स्टिक, ब्रेल स्टेट, एमआर किट

क्र.	वित्तीय वर्ष	लाभावित दिव्यांग	राशि (लाख में)
1	2018-19	162	04.08

निःशक्त छात्रवृत्ति

पात्रता

राज्य स्तर से संचालित निःशक्त छात्रवृत्ति योजना के तहत पालक/ अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 96.000 (रूपयो छियानवे हजार मात्र)

लाभ

निःशक्त छात्र/ छात्राओं को 2000/- रूपयो छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जाती है

क्र.	वित्तीय वर्ष	लाभावित दिव्यांग	राशि (लाख में)
1	2018-19	45	0.90